नाथूराम V/s सरकार
प्र० सं० 17/2016 धारा 212 R.T.A

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
3.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 / शिविर कोटड़ी पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण सं. 1 से 3 की ओर से श्री ... विपक्षीगण अनुपस्थित हैं। अतः पत्रावली तलबा कार्यवाही की जाकर जवाब का अवसर बंद किया जाता है। पैरोकार सरकार विपक्षी सं. 4 व 5 उपस्थित। जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A में अंकित प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थीगण के पक्ष में T.I जारी करने बाबत किसी प्रकार की आपत्ति होना जाहिर नहीं की है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम पोटलां के आराजी नं. 4253/0.13 हैक्टेयर, 4988/0.31 है., 5042/0.65 है., 5045/0.35 है., 5058/0.28 है., 5061/0.02 है., 5062/0.11 है., 5231/0.66 है., 5354/0.23 है. कुल किता 9 रकबा 2.78 है. जो इस दर्ज रेकार्ड पाई जाती है जिसके	

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्र.सं 17/2016 धारा 212 R.T.A

नानूराम V/s कालो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण का हिस्सा निहीत है। अतः प्रार्थीगण का प्रथम इष्टियां मामला पाया जाता है। प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाई जाती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अन्तर्गत 212 R.T.A का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः एव **आदेश** प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.2.2016 के द्वारा ग्राम पोटला के आराजी नं $\frac{4253}{0.13}$ है. $\frac{4988}{0.31}$ है. $\frac{5042}{0.65}$ है. $\frac{5045}{0.39}$ है. $\frac{5058}{0.28}$ है. $\frac{5061}{0.02}$ है. $\frac{5062}{0.11}$ है. $\frac{5231}{0.66}$ है. $\frac{5354}{0.23}$ है. कुल किता 9 रकबा 2.78 है. भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे मूल वाद के ता फैसला तक प्रार्थीगण के वर्णित उक्त आराजियात में हक हिस्से के अनुसार कनफर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली बाद कायला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)